पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. –9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 339/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 02.11.2024

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु दिनांक- 02.11.2024 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी है-

01.थाना- कोतवालीः चोरी की 28 बकरियां (कीमत लगभग 80 हजार रूपयें) के साथ अन्तर्जनपदीय एक शातिर चोर गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास–

अवगत कराना है कि वादी मुकदमा अभिषेक यादव पुत्र शिवचन्द यादव सा0 मो0 सराय मन्दराज थाना कोतवाली जिला आजमगढ ने थाना कोतवाली पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 29.10.024 की रात्रि में समय करीब 1.00 बजे से 3.00 बजे की बीच प्रार्थी की पाली हुई 2 बकरी व 2 बकरा किसी ने चोरी कर लिया है। अगल बगल खोजे लेकिन नही मिली। इसके सम्बन्ध मे थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 603/24 धारा 303(2) बीएनएस दिनांक 30.10.24 को पंजीकृत कराया गया।

➡दिनांक 29/10/24 को वादिनी भानी देवी पत्नी रामजी सोनकर नि0 जयरामपुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र कि हमारी 11 बकरियों को जयरामपुर से भोर मे चार पहिया वाहन से अज्ञात चोर चुरा ले गये। इस सम्बन्ध मे मैंनें थाना कोतवाली पर प्रार्थना पत्र देकर मु0अ0सं0 605/24 धारा 303(2) बीएनएस दि. 30.10.24 को पंजीकृत कराया गया।

➡थाना सिधारी से 09 बकरी, थाना देवगांव से 03 बकरी व थाना गम्भीर 01 बकरी चोरी का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण –

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली चोरियों पर प्रभावी अंकुश हेतु थाना प्रभारी कोतवाली को निर्देशित किया गया जिसके क्रम में दिनांक-01.11.2024 को उ0नि0 लाल बहादुर बिन्द, उ0नि0 रवि प्रकाश गौतम, मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त फखरे आलम पुत्र बदरूद्दीन नि. कुरैश नगर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ हाल पता ग्रा. हुसैनाबाद उदयभानपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 51 वर्ष को 28 राशि बकरी/बकरा के साथ समय 17.05 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पूछताछ का विवरण–

गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि साहब मै अपने साथियो हारून उर्फ नाटे उर्फ करिया पुत्र मुख्तार निवासी मोहम्मदपुर (कोहड़ौरा) थाना गंभीरपुर व अरशद उर्फ बहुदा पुत्र एकलाख निवासी कुरैश नगर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ व मो0 आकिल उर्फ आकिब उर्फ शरीफ पुत्र निजामुद्दीन उर्फ भरतूल निवासी कुरैशनगर थाना जीयनपुर आजमगढ़ की मदद से बकरी व बकरा तथा कभी कभी अन्य पशुओ की चोरी विभिन्न स्थानो से चोरी कर लाते हैं और मैं अपने हाते में छुपा देता हूं जिन्हे बाद में हम लोग मिलकर आवश्यकता अनुसार गोश्त अथवा जिन्दा बकरा बकरी की बिक्री कर देते है। मैं अपने उक्त साथियों के साथ मिलकर दिनाँक 29.10.2024 को सराय मन्दराज , से चार बकरी बकरा कठवा पुल तमसा नदी के किनारे से 11 बकरा बकरी व ग्रा0 कमहैनपुर से 01 बकरी तथा दिनाँक 19.10.2024 के पल्हनी से 9 बकरा -बकरी चोरी किया हूं। चोरी में हमलोग हारून उर्फ नाटे उर्फ करिया के बोलोरो गाड़ी का इस्तेमाल करते है। चोरी के उद्देश्य से निकलते समय पुलिस से बचने के लिए बोलेरो गाड़ी पर लाल बत्ती भी लगा देते है। बकरा व बकरी चोरी करते समय न चिल्लाएं इसलिए हम लोग बकरा बकरी के मुंह पर तुरंत टेप लगा देते हैं । हम लोग संगठित होकर चोरी करते हैं। हमारे गैंग का लीडर हारून उर्फ नाटे उर्फ करिया है। हमलोगो ने कुछ अन्य स्थानो से बकरा बकरी तथा भैस चुराया है जिसे हमलोगो ने पहले ही बेच दिया है। जो बकरा बकरी बचे थे उसे आप लोगो ने पकड़कर पिकअप मे लोड कर दिये है।

पंजीकृत अभियोग –

1.मु0अ0सं0 603/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना कोतवाली आजमगढ़

2.मु0अ0सं0 605/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना कोतवाली आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1-फखरे आलम पुत्र बदरूद्दीन नि. कुरैश नगर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ हाल पता ग्रा. हुसैनाबाद उदयभानपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 51 वर्ष

बरामदगी का विवरणः- 28 राशि बकरा/बकरी बरामद।

फरार अभियुक्त-

1-हारून उर्फ नाटे उर्फ करिया पुत्र मुख्तार निवासी मोहम्मदपुर (कोहड़ौरा) थाना गंभीरपुर आजमगढ़

2- अरशद उर्फ बहुदा पुत्र एकलाख निवासी कुरैश नगर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

3- मो0 आकिल उर्फ आकिब उर्फ शरीफ पुत्र निजामुद्दीन उर्फ भरतूल निवासी कुरैशनगर थाना जीयनपुर आजमगढ़

आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0 603/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना कोतवाली आजमगढ़
2.मु0अ0सं0 605/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना कोतवाली आजमगढ़
3.मु0अ0सं0 423/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना सिधारी आजमगढ
4.मु0अ0सं0 115/18 धारा 4/25 शस्त्र अधि. थाना जीयनपुर आजमगढ़
5.मु0अ0सं0 246/16 धारा 3/5/8 गो.नि.अधि. व 419/420/467/468 भादवि थाना मुबारकपुर आजमगढ़
6.मु0अ0सं0 137/23 धारा 3/25 शस्त्र अधि. थाना जीयनपुर आजमगढ़
7.मु0अ0सं0 114/18 धारा 3/5/8 गो. नि. अधि. थाना जीयनपुर आजमगढ़
8.मु0अ0सं0 291/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना देवगांव आजमगढ़
9.मु0अ0सं0 338/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना देवगांव आजमगढ़
10.मु0अ0सं0 395/24 धारा 305 बीएनएस थाना गम्भीरपुर आजमगढ़
11.मु0अ0सं0 379/24 धारा 115(2),118(1),323(2),333 बीएनएस थाना केराकत जनपद जौनपुर

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1- उ0नि0 लाल बहादुर बिन्द, उ0नि0 रवि प्रकाश गौतम, हे0कां0 सर्वेश विक्रम, हे0कां0 प्रभाकर यादव, कां0 अभय सिंह, हे0कां0 सतीश यादव, कां0 नीरज कुमार थाना कोतवाली आजमगढ़

02.थाना बिलरियागंज: पटाखा फोड़ने की बात को लेकर जानलेवा हमला करने वाले 04 अभियुक्त गिरफ्तार; घटना में प्रयुक्त 02 चाकू व 02 डण्डा बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अवगत कराना है कि दिनांक 01.11.2024 को वादी श्यामसुन्दर पुत्र किसुनधारी निवासी पिपरहा दुलियावर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना पर लिखित तहरीर दी कि वादी के पट्टीदार विपक्षी 1.लालगेन पुत्र शेखराज 2.अनिल पुत्र लालगेन 3.रामदेई पत्नी लालगेन 4.रेखा पत्नी शाहील निवासीगण ग्राम पिपरहा दुलियावर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा बच्चो बच्चो मे पटाखा फोडने की बात को लेकर झगडा करने व उसी बात को लेकर एक राय होकर लाठी डण्डा,चाकू लेकर घर के दरवाजे पर चढ़कर आकर वादी मुकदमा व उसके पिता को गाली गुप्ता देते हुए,मारना पीटना व जान से मारने की नियत से वादी के पिता को चाकू मारना व वादी के ऊपर वार करना बचाने आये चाचा हरिश्चन्द व चचेरे भाई अमित,आकाश व प्रेमचन्द व भतीजे दीपक को मार पीटकर घायल कर दिये व जान से मारने की धमकी दी गयी, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 386/2024 धारा 3(5)/109/115(2)/351(2)/352 बीएनएस बनाम 1.लालगेन पुत्र शेखराज आदि 04 नफर पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 02.11.2024 को उ0नि0 मनीष कुमार विश्वकर्मा थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1.लालगेन पुत्र शेखराज 2.अनिल पुत्र लालगेन 3.रामदेई पत्नी लालगेन 4.रेखा पत्नी शाहील निवासीगण पिपरहा दुलियावर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ को तेंदुआ व पिपरहा दुलियावर मार्ग पर स्थित पुलिया के पास गिरफ्तार किया गया। अन्य वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

03.थाना सरायमीर: किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

अवगत कराना है कि दिनांक 20.10.2024 को वादी मुकदमा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि वादी मुकदमा की बहन उम्र लगभग 17 वर्ष आज ही समय करीब 4.35 बजे भोर में घर से प्रतिदिन की तरह टहलने के लिये बाहर रोड पर गयी थी । काफी समय हो जाने पर भी वह घर नहीं आयी तब हम लोग खोजना शुरु किये परन्तु वह नहीं मिली। घर के मोबाईल नम्बर पर उसने 8527xxxxxxxx से फोन करके बताई की हम आजमगढ है फिर थोडी देर में बाद ही उसने फोन किया कि हम इलाहाबाद कोचिंग सेन्टर पर हैं, के सम्बन्ध में थाना सरायमीर पर मु0अ0सं0 555/24 धारा 137(2) बीएनएस व बढ़ोत्तरी धारा 64/142/351(2)/115(2)/3(5) बीएनएस व 3/4 पास्को एक्ट पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान जयसिंह यादव पुत्र शिवमूरत यादव ग्राम चकबारी चकिया थाना निजामाबाद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया। जिसके क्रम में-

गिरफ्तारी का विवरण –

दिनांक- 02.11.2024 को उ0नि0 राजकुमार यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त जयसिंह यादव पुत्र शिवमूरत यादव ग्राम चकबारी चकिया थाना निजामाबाद आजमगढ़ को खपड़ागाँव चौराहे के पास से समय करीब 12.30 बजे गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

04.थाना- तहबरपुर: गैर-इरादत्तन हत्या के प्रयास में 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 01.11.2024 को वादी नागेन्दर पुत्र धुपई सा0 मेढ़ी थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि विपक्षी 1. कन्सा पुत्र फागू 2.बृजेश पुत्र कन्सा 3. सुजेश पुत्र कन्सा 4. रामकेश पुत्र कन्सा समस्त निवासी ग्राम मेढ़ी थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा अपने घर के छत से पटाखा जला कर वादी के घर में फेक रहे थे की मना करने पर भद्दी –भद्दी गाली देते हुये ईट पत्थर फेक कर मारने लगे जिससे वादी के भाई बलेन्दर की पत्नी निरपत्ती को सिर में ईट लग जाने से मौके पर बेहोश हो कर गिर गयी जिसका ईलाज बेदान्ता अस्पताल आजमगढ़ में चल रहा है तथा वादी की पत्नी रेखा देवी व पुत्र सत्यम को मारे पीटे तथा जान से मारने की धमकी दी गयी, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 231/2024 धारा 110,125,115(2),351(2),352 बीएनएस बनाम 1. कन्सा पुत्र फागू आदि 04 नफर पंजीकृत किया गया। साक्ष्य संकलन की कार्यवाही व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही थी।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक- 02.11.2024 को उ0नि0 संतोष कुमार राय मय हमराह को सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त सुरेश व बृजेश वादी पक्ष के घर पर मौजूद महिलाओ के उपर मुकदमे लिखाने के प्रतिशोध मे गंभीर हमला करने के फिराक मे है तथा घटना करने के पश्चात चेन्नई भागने के फिराक मे है इस सूचना पर पुलिस द्वारा गंभीर घटना के अंदेशा पर एवं अभियुक्तों के सुदूर पलायन कर जाने की प्रबल संभावना पर दोनो अभियुक्त 1.बृजेश निषाद पुत्र कन्सा उम्र करीब 2. सुजेश निषाद पुत्र कन्सा उम्र करीब निवासी गण ग्राम मेढ़ी थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ को समय 12.45 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

“मिशन शक्ति फेज-5”

दिनांकः-02.11.2024

मिशन शक्ति के विशेष अभियान (फेज-05) के तहत कम्युनिटी पुलिसिंग एवं महिला सशक्तिकरण हेतु महिलाओं/बालिकाओं को किया जागरुक।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं/बालिकाओं के सुरक्षार्थ व स्वालंबन हेतु चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान (फेज-05) के तहत पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना के निर्देशन में मिशन शक्ति अभियान फेज-05 के दृष्टिगतः-

आज दिनांक 02.11.2024 को जनपद आजमगढ़ के समस्त थानो में गठित मिशन शक्ति टीम द्वारा महिलाओं व बालिकाओं की सुरक्षा व सम्मान एवं स्वावलंबन हेतु महिला एवं बच्चों से सम्बन्धित समस्याओं एवं मुद्दों पर समझ बनाना व घरेलू हिंसा से संरक्षण, दहेज प्रतिषेध, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण, पॉक्सो, बाल विवाह प्रतिषेध व महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध प्रमुख अपराधों की जानकारी दी गयी व महिला हिंसा से संबंधित अन्य शिकायतों के निवारण हेतु 1. वीमेन पावर लाइन (1090) 2. पुलिस आपातकालीन सेवा (112) 3. सीएम हेल्पलाइन नंबर (1076) 4. चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर (1098) 5. वन स्टाप सेन्टर (181) 6. साइबर हेल्पलाइन नंबर (1930) 7. स्वास्थ्य सेवा हेल्पलाइन नंबर (102) 8. एम्बुलेन्स सेवा (108) 9. जनसुनवाई पोर्टल, स्थानीय थाने की हेल्प डेस्क, राष्ट्रीय/राज्य महिला आयोग के सम्बन्ध में जानकारी देकर जागरूक किया गया। मिशन-शक्ति-अभियान के तहत जनपद के समस्त थानों द्वारा पुलिस की पाठशाला/चौपाल लगाकर जागरूकता के क्रम में महिलाओं/छात्राओं को जागरुक किया गया।